



2026:AHC:24332-DB

27.01.2026 को सुरक्षित

04.02.2026 को दिया गया

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

विशेष अपील संख्या - **1137/2025**

प्रबंध बोर्ड एवं अन्य

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी., विशाखा पांडे, विशाल तलवार, जीशान खान, कलीम अख्तर, अली बिन सयर, सईद मसरूर, मो. आदिल सिद्दीकी

साथ में

विशेष अपील संख्या - **1196/2025**

बलवंत एजुकेशनल सोसायटी, आगरा एवं अन्य

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी., विशाखा पांडे, विशाल तलवार, जीशान खान, कलीम अख्तर, अली बिन सयर, सईद मसरूर, मो. आदिल सिद्दीकी

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

(द्वारा: क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति)

1. ये दो अंतः न्यायालय अपीलें दिनांक 06.11.2025 के अंतिम आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने चार रिट याचिकाओं को निस्तारित किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हालांकि, विशेष अपील संख्या 1137/2025 में चुनौती रिट-सी संख्या 18418/2023 (बलवंत एजुकेशनल सोसायटी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के निस्तारण के संबंध में है, जबकि संबद्ध विशेष अपील संख्या 1196/2025 में चुनौती रिट-सी संख्या 49372/2013 (बलवंत एजुकेशनल सोसायटी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के निस्तारण से संबंधित है।

2. जहाँ रिट-सी संख्या 49372/2013 को निष्प्रभावी होने के कारण खारिज कर दिया गया है, वहीं रिट-सी संख्या 18418/2023 का निर्णय करते समय निर्देश जारी किए गए हैं। तर्कों के दौरान, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने केवल रिट-सी संख्या 18418/2023 में शामिल विवाद के संबंध में न्यायालय को संबोधित किया और इसलिए, विशेष अपील संख्या 1137/2025 को अगणी मामला माना जाएगा। वैसे भी, रिट-सी संख्या 49372/2013 का निष्प्रभावी होकर खारिज होना मामले में शामिल विवाद पर अधिक प्रभाव नहीं डालता है।
3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा न केवल बलवंत एजुकेशनल सोसायटी ('सोसायटी') के पदाधिकारियों के संबंध में बल्कि अन्य पहलुओं के संबंध में भी विभिन्न निर्देश जारी किए हैं, जिन पर आगे विचार किया जाएगा। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मामले में मुख्य विवाद दो चचेरे भाइयों, अनिरुद्ध पाल सिंह (संक्षेप में 'एपीएस') जो अपीलार्थी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जितेन्द्र पाल सिंह (संक्षेप में 'जेपीएस') जो प्रतिवादी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के बीच है।
4. रिट-सी संख्या 18418/2023 जेपीएस के नेतृत्व वाले प्रतिवादी पक्ष के माध्यम से सोसायटी के नाम पर और जेपीएस द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई थी। इसमें दिनांक 02.12.2022 और 20.02.2023 के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा ने (उप-विधियों के अनुसार सोसायटी के अध्यक्ष की क्षमता में) एपीएस को क्रमशः 17.12.2022 और 12.03.2023 को होने वाली बैठकों में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष के रूप में दर्शाते हुए भाग लेने की अनुमति दी थी। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत यह थी कि एपीएस प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष नहीं थे और इसलिए, कथित सचिव अंबरीश पाल सिंह द्वारा दायर आवेदनों के हाशिये पर अंकित आदेशों को एपीएस उपाध्यक्ष की क्षमता में अपनी पहचान/मान्यता के रूप में मान रहे थे, जबकि रिट याचिका में संदर्भित कुछ मुकदमों के आलोक में उनके पास वह स्थिति नहीं है। अतः, उन आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।
5. रिट न्यायालय ने जेपीएस की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, 25.07.2023 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया:-

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सक्सेना, जिन्हें श्री सुहैल अहमद अंसारी, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, और राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 और 5 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. श्री आशीष मिश्रा, अधिवक्ता ने कहा है कि इस रिट याचिका का नोटिस उन्हें गलत तरीके से तामील किया गया है और वह प्रत्यर्थी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जिन्हें बलवंत एजुकेशनल सोसायटी, आगरा के अध्यक्ष की क्षमता में पक्षकार बनाया गया है। अतः श्री मिश्रा की उपस्थिति को इस मामले की आगे की कार्यवाही से छूट दी जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. श्री सक्सेना का तर्क इस आशय का है कि सोसायटी की उप-विधियों के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा इसके पदेन अध्यक्ष हैं और अवागढ़ के राजा उपाध्यक्ष। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संघ में रियासत के विलय और उसके बाद भारत के संविधान के तहत गणतंत्र घोषित होने के बाद, राजाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसलिए, सोसायटी के नियमों के तहत, राजा बलवंत सिंह के परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और उक्त प्रणाली का वर्षों-वर्षों तक पालन किया गया।

4. उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ तक उप-विधियों में संशोधन का प्रश्न है, खंड 16 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उप-विधियों में संशोधन करने वाला कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित न किया जाए। सिविल मिस. रिट याचिका संख्या 53773/2000 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2019 सहित विभिन्न कार्यवाहियों का संदर्भ दिया गया है। उक्त रिट याचिका में उप-विधियों में किए गए संशोधन को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन न दिए जाने को चुनौती दी गई थी, हालांकि, इस न्यायालय ने 25.08.2011 को रिट याचिका खारिज करने हुए स्पष्ट रूप से पाया कि आक्षेपित आदेश ज्ञापन के खंड 16 के अनुरूप था। उक्त आदेश के विरुद्ध एक विशेष अपील दायर की गई थी जिसे अंततः वर्ष 2016 में वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

5. इस बीच, दिनांक 30.08.2011 को पारित जिला न्यायाधीश के आदेश के तहत याचिकाकर्ता संख्या 2 को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उसके बाद प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत पदाधिकारियों की सूची को अंततः उप-पंजीयक, आगरा द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके विरुद्ध दो रिट याचिकाएं अर्थात् रिट-सी संख्या 55196/2016 और रिट-सी संख्या 10388/2019 दायर की गई थीं।

6. दोनों रिट याचिकाओं में उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगा दी गई थी।

7. यह तर्क दिया गया है कि दोनों रिट याचिकाएं लंबित हैं और इस न्यायालय ने अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 6324/2019 द्वारा कवर की गई अवमानना कार्यवाहियों में अंतरिम आदेशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया है। साथ ही यह तर्क भी दिया गया है कि उप-पंजीयक, आगरा ने 05.04.2022 को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उनके कार्यालय में समिति/सोसायटी की कोई अनुमोदित सूची नहीं है।

8. यह तर्क दिया गया है कि जिला न्यायाधीश, आगरा ने दिनांक 02.12.2022 और 20.02.2023 के आक्षेपित आदेश पारित कर प्रत्यर्थी संख्या 4 को केवल उक्त प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करके उपाध्यक्ष की क्षमता में सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता करने की अनुमति दी है।

9. यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि जिला न्यायाधीश, आगरा के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 के कहने मात्र पर ऐसे आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी उक्त प्रत्यर्थी उसके बल पर सोसायटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कार्य इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाहियों में लिए गए अंतिम और अंतरिम निर्णयों के विपरीत है।

10. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जिला न्यायाधीश, आगरा सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, दिए गए तर्कों और ज्ञापन के खंड 16 के अनुरूप इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम और अंतिम आदेशों पर विचार करते हुए, मामला विचारणीय है।

11. प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 और 4 को नोटिस जारी करें, जो चार सप्ताह के भीतर प्रतिदेय हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. प्रत्यर्थी छह सप्ताह के भीतर प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथ पत्र, यदि कोई हो, दाखिल किया जा सकता है।

13. इसे रिट-सी संख्या 55196/2016 और रिट-सी संख्या 10388/2019 के साथ 20.09.2023 को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

14. अंतरिम उपाय के रूप में, अगले आदेश तक यह निर्देशित किया जाता है कि जिला न्यायाधीश, आगरा उप-विधियों के अनुसार अध्यक्ष की क्षमता में सोसायटी के कार्यालय पर अपना नियंत्रण रखेंगे और प्रत्यर्थी संख्या 4 (एपीएस) को उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

6. स्पष्ट रूप से, रिट न्यायालय ने अंतरिम उपाय के रूप में एक निर्देश जारी किया कि जिला न्यायाधीश, आगरा उप-विधियों के अनुसार अध्यक्ष की क्षमता में सोसायटी के कार्यालय पर अपना नियंत्रण रखेंगे और रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 4 (अर्थात एपीएस) को उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिट न्यायालय ने मामले को दो अन्य रिट याचिकाओं के साथ भी जोड़ दिया, जिन्हें भी आक्षेपित आदेश द्वारा लय किया गया है। हालांकि, हमें उन दो रिट याचिकाओं से मतलब नहीं है क्योंकि हमारे विचारधीन दो विशेष अपीलें उन याचिकाओं से उत्पन्न नहीं हुई हैं।

7. शपथ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद, जहाँ रिट-सी संख्या 49372/2013 को समय बीतने के साथ निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया गया है, वहीं रिट-सी संख्या 18418/2023 को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित किया गया है:-

"48. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, निष्कर्ष और निर्देश निम्नानुसार सारांशित किए जाते हैं:

(i) वर्तमान में, 'अवागढ़ रियासत के राजा' जैसी कोई उपाधि नहीं है, इसलिए अनिरुद्ध पाल सिंह और जितेन्द्र पाल सिंह में से कोई भी 'अवागढ़ रियासत के राजा' होने के नाते प्रबंध बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और तदनुसार उनमें से कोई भी बोर्ड के 'उपाध्यक्ष पद' का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।

(ii) निर्विवाद रूप से, 'बलवंत एजुकेशनल सोसायटी' का गठन 1901 में अवागढ़ के स्वर्गीय राजा बलवंत सिंह द्वारा बनाए गए एक ट्रस्ट से हुआ था, इसलिए उनकी विरासत को जारी रखने के लिए, उनके परिवार का एक सदस्य भले ही कोई 'अवागढ़ रियासत का राजा' न हो, फिर भी बोर्ड का सदस्य और बोर्ड का उपाध्यक्ष बनेगा।

(iii) यह हमेशा बेहतर और ट्रस्ट एवं सोसायटी के साथ-साथ विरासत के हित में होगा, यदि दोनों भाई परिवार का बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए एक सुविचारित और सर्वसम्मत निर्णय लें, लेकिन लंबे मुकदमेबाजी और उनके मनमुटाव वाले संबंधों को देखते हुए, किसी सहमत निर्णय की संभावना बहुत कम है।

(iv) इसलिए, न्यायालय एक समाधान प्रस्तावित कर रहा है जो बोर्ड, परिवार, विरासत और लंबी भागीदारी के हित में होगा कि सभी भाई सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में (जन्म तिथि के आधार पर) 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान समान अवधि के लिए सदस्य और उपाध्यक्ष बन सकते हैं, अर्थात यदि वे दो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भाई हैं, तो वे प्रत्येक 2.5 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बन सकते हैं। बड़ा बेटा पहले आधे भाग में और छोटा बेटा दूसरे आधे भाग में।

(v) उपरोक्त व्यवस्था 01.12.2025 से प्रभावी होगी और तदनुसार, सबसे बड़े भाई श्री जितेन्द्र पाल सिंह पहले 2.5 वर्ष के लिए सदस्य और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और शेष 2.5 वर्ष की अवधि के लिए अनिरुद्ध पाल सिंह (छोटा भाई) जिम्मेदारी निभाएंगे।

(vi) कोई भी व्यवस्था कि सबसे बड़ा बेटा (पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे का इकलौता सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उपाध्यक्ष होगा) किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है और यदि यह एक प्रथा थी, तो वह बदले हुए परिदृश्य में जारी नहीं रहेगी क्योंकि अब कोई 'राजा' नहीं है।

(vii) बोर्ड को पूरा करने की आगे की प्रक्रिया उसके बाद स्वतंत्र रूप से शुरू होगी, ताकि प्रबंध समिति के सदस्यों की नई सूची 01.01.2026 से पहले संबंधित पंजीयक (रजिस्ट्रार) को भेजी जा सके।

(viii) पैराग्राफ 46 में दिए गए निर्देशों का पालन भी 01.01.2026 से पहले किया जाएगा।

49. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।"

8. विशेष अपील संख्या 1137/2025 में, 26.11.2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया था और उन्हीं तर्ज पर जिन पर रिट न्यायालय ने शुरू में अंतरिम आदेश दिया था, अंतरिम व्यवस्था की गई थी, जो इस प्रकार है:-

"इस बीच और अगले आदेश तक, आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा और जैसा कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान निर्देशित किया गया था, यह निर्देशित किया जाता है कि जिला न्यायाधीश, आगरा, जिन्हें सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में इंगित किया गया है, उप-विधियों की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष के कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपील के लंबित रहने के दौरान शक्तियां उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी।"

9. प्रत्यर्थी जेपीएस ने अंतरिम आदेश से व्यथित होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर की। एसएलपी को दिनांक 18.12.2025 के आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया, जिसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, हालांकि खंडपीठ से अगली सुनवाई की तिथि अर्थात् 13.01.2026 को या तो अंतरिम आवेदन या मुख्य मामले को शीघ्रता से निस्तारित करने का प्रयास करने की अपेक्षा की।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, मामला 13.01.2026 को हमारे द्वारा सुना गया, हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसलिए मामले को 27.01.2026 के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस तिथि को अंतिम दलीलें सुनी गईं। इस बीच, पक्षों के बीच प्रति-शपथ पत्र और प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी बदल लिए गए और वे अभिलेख पर हैं।

11. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिन्हें श्री राज कुमार मिश्रा द्वारा सहायता प्रदान की गई, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी सिंह और प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की ओर से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद आदिल सिद्दीकी मय श्री जीशान खान, श्री कलीम अख्तर, श्री अली बिन सयर और श्री सईद मसरूर को सुना।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने निम्नलिखित तर्क दिए:-

(i) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश रिट याचिका के दायरे से बाहर है, जो केवल सोसायटी के अध्यक्ष की क्षमता में जिला न्यायाधीश द्वारा एपीएस को 17.12.2022 और 12.03.2023 को होने वाली प्रबंध बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति तक सीमित था। अतः रिट याचिका के दायरे से परे कोई भी अधिनिर्णय टिकने योग्य नहीं है।

(ii) रिट याचिका अपने दाखिल होने की तिथि पर ही निष्प्रभावी थी, क्योंकि याचिका दाखिल करने से पहले ही उक्त बैठकें हो चुकी थीं और इसलिए न तो निष्प्रभावी याचिका में कोई अनिमित्त राहत देने की गुंजाइश थी, न ही विद्वान एकल न्यायाधीश रिट याचिका को अंतिम रूप से तय करते समय इस तरह के निर्देश जारी कर सकते थे।

(iii) सोसायटी को 12.04.1960 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 ('अधिनियम, 1860') के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 18.05.1964 की अधिसूचना द्वारा योजना में कुछ संशोधन किए गए थे। हालांकि, योजना का खंड 7(ii), जिसमें यह संकेत दिया गया है कि तत्कालीन अवागढ़ के राजा उपाध्यक्ष होंगे, बरकरार रहा और इसलिए एपीएस, राजा बलवंत सिंह द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 21.01.1901 और 'कोडिसिल' (वसीयतनामा का पूरक) दिनांक 31.05.1909 में निहित शर्तों के अनुसार राजा होने के नाते, सभी को अपवर्जित करते हुए सोसायटी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे।

(iv) उपाध्यक्ष के रूप में एपीएस की स्थिति के संबंध में प्रत्यार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्ति निराधार है, न केवल इसलिए कि एपीएस राजा के परिवार के पदानुक्रम में सबसे बड़े पुत्र हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें 15.03.1981 को प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा राजकुमार धर्मपाल के स्थान पर उपाध्यक्ष चुना गया था, जिन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और जिनका इस्तीफा सद संख्या 69 दिनांक 30.11.1980 द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तब से एपीएस उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। 15.03.1981 के प्रस्ताव पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।

(v) आक्षेपित आदेश में विभिन्न स्थानों पर विरोधाभासी टिप्पणियां दर्ज हैं जहाँ कुछ स्थानों पर यह कहा गया है कि एपीएस और जेपीएस आपसी सहमति से बोर्ड के सदस्य के रूप में आगे आने के लिए सर्वसम्मति निर्णय नहीं ले पाए हैं, अतः उन्हें बोर्ड के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करने और कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोका जाता है; वहीं दूसरी ओर आदेश के समापन पैराग्राफ-48 में जेपीएस को 01.12.2025 से पहले 2.5 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और शेष 2.5 वर्षों के लिए एपीएस को अनुमति दी गई है।

13. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि रिट न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 20 के रूप में उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 इंगित करता है कि सोसायटी में कोई प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं है। उप-पंजीयक द्वारा 21.06.2025 को एक और आदेश पारित किया गया था (प्रत्यर्थी द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष दाखिल पूरक प्रति-शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या 1 में शामिल), जिसमें इस न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के स्तर पर संपन्न एक जांच का संदर्भ दिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया था। इसमें संकेत दिया गया था कि एपीएस और जेपीएस के बीच उपाध्यक्ष पद का विवाद केवल सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि सोसायटी के मामलों में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं, इसलिए 21.06.2025 के आदेश में यह संकेत दिया गया था कि ऐसी शिकायतों का निस्तारण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लेखा परीक्षक के माध्यम से किया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए अलग आदेश पारित किया जाएगा।

14. निजी प्रत्यार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क दिए:-

(i) राजा बलवंत सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत और कोडिसिल विवाद में नहीं होने के कारण, चूंकि जेपीएस अपील की कागजी कार्यवाही (पेपर बुक) के पृष्ठ 720 पर संलग्न वंशावली के अनुसार परिवार के पदानुक्रम में सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राजा के रूप में वही सोसायटी की उप-विधियों की शर्तों के अनुसार उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने के लिए सक्षम और हकदार होंगे। अतः एपीएस द्वारा प्रस्तुत विपरीत दावा टिकने योग्य नहीं है।

(ii) सोसायटी की उप-विधियों में उस आशय के किसी भी संशोधन के अभाव में पदाधिकारियों के चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है, अतः 15.03.1981 को कथित रूप से आयोजित बैठक में एपीएस के उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव दिखाने वाले प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है।

(iii) उप-विधियों के खंड 6(i)(b) में अपीलकर्ताओं द्वारा 02.08.1981 को कथित रूप से आयोजित बैठक में किया गया संशोधन, जिसमें स्वर्गीय राजा बलवंत सिंह के परिवार के एक सदस्य द्वारा उपाध्यक्ष का पद संभालने और प्रबंध बोर्ड द्वारा चुने जाने का प्रावधान किया गया है, मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के नियम/खंड 16 में किए गए प्रावधानों के विपरीत है। खंड 16 यह प्रावधान करता है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित न किया जाए। चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए कथित प्रस्ताव को ऐसी कोई मजूरी नहीं दी गई है, इसलिए एपीएस का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव बिना किसी कानूनी आधार के है।

(iv) इस न्यायालय ने 'डॉ. डी.पी.एस. भाटी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य: 2011 (8) ए.डी.जे. 633' के मामले में पारित अपने निर्णय में मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के खंड 16 की व्याख्या करते हुए यह धारित किया है कि जब तक संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, तब तक वह प्रभावी नहीं होगा। उक्त निर्णय के अंतिम रूप प्राप्त कर लेने के बाद, एपीएस किसी भी ऐसे प्रस्ताव या वर्ष 1981 में अपने चुनाव पर भरोसा नहीं कर सकते।

(v) अपीलकर्ताओं ने अवैध रूप से उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 के तहत वर्ष 2016-17 के लिए अपनी प्रबंध समिति पंजीकृत कराई, जिसे प्रत्यार्थियों द्वारा रिट-सी संख्या 55196/2016 दायर कर चुनौती दी गई थी। इसमें 22.11.2016 के अंतरिम आदेश द्वारा 19.10.2016 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी, फिर भी अपीलकर्ताओं ने सोसायटी के मामलों पर नियंत्रण जारी रखा, जिस पर अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 6324/2019 दायर किया गया था, जो अभी भी लंबित है। अतः अपीलकर्ताओं द्वारा पदाधिकारियों के संबंध में किया गया कोई भी दावा टिकने योग्य नहीं है।

15. इन तर्कों का जवाब देते हुए श्री खरे ने प्रत्युत्तर में कहा कि रिट-सी संख्या 55196/2016 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.11.2016 ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया था कि कॉलेज की प्रबंध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समिति के विवाद के संबंध में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः यदि एपीएस सोसायटी द्वारा संचालित संस्थानों की प्रबंध समिति पर नियंत्रण कर रहे हैं, तो इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का कोई उल्लंघन नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि रिट-सी संख्या 55196/2016 स्वयं निष्प्रभावी होकर निस्तारित हो चुकी है, अतः अंतरिम आदेश पर निर्भरता गलत है।

16. हालांकि प्रत्यार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए जेपीएस के दावे के गुण-दोष पर विभिन्न तर्क दिए गए, लेकिन न्यायालय द्वारा पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर कि क्या वह आक्षेपित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों से संतुष्ट हैं, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि एपीएस का गुण-दोष पर कोई मामला ही नहीं बना है, अतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके पक्ष में की गई कोई भी टिप्पणी या उन्हें थोड़े समय के लिए भी उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने की अनुमति देना टिकने योग्य नहीं है।
17. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
18. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि रिट-सी संख्या 18418/2023 उस तिथि को दायर की गई थी जब बैठकों का आयोजन हो चुका था। हालांकि, स्पष्ट रूप से चुनौती को रिट न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और 25.07.2023 को पूर्व में लंबित कुछ मामलों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। रिट न्यायालय और इस न्यायालय ने भी अंतरिम उपाय के रूप में जिला न्यायाधीश, आगरा को अध्यक्ष की क्षमता में नियंत्रण रखने का निर्देश दिया था, जिस स्थिति पर प्रत्यार्थियों ने भी विवाद नहीं किया है।
19. जहाँ तक बैठकों में भाग लेने की अनुमति देने वाले आदेशों की चुनौती का प्रश्न है, यह देखा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश उपाध्यक्ष पद के विवाद में प्रविष्ट हुए और सोसायटी के मामलों के प्रबंधन और व्यवस्था के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन जब वे प्रयास विफल रहे, तो उन्होंने कई ऐसे निर्देश जारी किए जो स्वयं में विरोधाभासी हैं।
20. आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ-42 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-
"42. उपरोक्त परिस्थितियों में, चूंकि विरोधी पक्ष अर्थात् अनिरुद्ध पाल सिंह और श्री जितेन्द्र पाल सिंह आपसी सहमति से प्रबंध बोर्ड के सदस्य के रूप में आगे आने के लिए सर्वसम्मति निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे हैं, उन्हें प्रबंध बोर्ड के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है और उन्हें कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से भी रोका जाता है क्योंकि यह केवल अहंकार का मामला है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले एक दशक से अधिक समय में इस न्यायालय के समक्ष कई मुकदमे दायर हुए हैं। अभिलेख पर ऐसी किसी परंपरा का अस्तित्व नहीं लाया गया है कि सोसायटी का उपाध्यक्ष केवल सबसे बड़ा पुत्र ही होगा।"
21. स्पष्ट रूप से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एपीएस और जेपीएस दोनों को प्रबंध बोर्ड के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करने और कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि उपाध्यक्ष केवल सबसे बड़ा बेटा होगा। इसके ठीक विपरीत, पैराग्राफ-46 में निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया:-

"46. श्री अनिरुद्ध पाल सिंह और श्री जितेन्द्र पाल सिंह को अपनी सद्भावना और विरासत को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आगे बढ़ाने में रुचि दिखाने के लिए अपने बैंक खाते से बलवंत एजुकेशनल सोसायटी के बैंक खाते में 2 लाख रुपये प्रत्येक जमा करने का निर्देश दिया जाता है।"

22. इसके अतिरिक्त, निर्णय के समापन पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने जेपीए को बड़ा भाई होने के नाते 01.12.2025 से शुरू होने वाले पहले 2.5 वर्षों के लिए सदस्य और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिकृत किया और अपीलार्थी एपीएस को छोटे भाई के रूप में शेष 2.5 वर्षों के लिए वही जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। जहाँ तक पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े पुत्र को उपाध्यक्ष बनाने की व्यवस्था का प्रश्न है, आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ संख्या 48(vi) में निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया था:-

"48(vi) कोई भी व्यवस्था कि सबसे बड़ा पुत्र (पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े पुत्र का केवल सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उपाध्यक्ष होगा) किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है और यदि यह एक प्रथा थी, तो वह बदले हुए परिदृश्य में जारी नहीं रहेगी क्योंकि अब कोई 'राजा' नहीं है।"

23. स्पष्ट रूप से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने ट्रस्ट, सोसायटी और विरासत के हित में विवाद को सुलझाने के लिए आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ संख्या 48(iii) और (iv) में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं:-

"48(iii) यह हमेशा बेहतर और ट्रस्ट एवं सोसायटी के साथ-साथ विरासत के हित में होगा, यदि दोनों भाई परिवार का बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए एक सुविचारित और सर्वसम्मत निर्णय लें, लेकिन लंबे मुकदमेबाजी और उनके मनमुटाव वाले संबंधों को देखते हुए, जैसा कि न्यायालय कक्ष में दिखा, किसी सहमत निर्णय की संभावना बहुत कम है।"

(iv) इसलिए, न्यायालय एक समाधान प्रस्तावित कर रहा है जो बोर्ड, परिवार, विरासत और लंबी भागीदारी के हित में होगा कि सभी भाई सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में (जन्म तिथि के आधार पर) 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान समान अवधि के लिए सदस्य और उपाध्यक्ष बन सकते हैं, अर्थात् यदि वे दो भाई हैं, तो वे प्रत्येक 2.5 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बन सकते हैं। बड़ा पुत्र पहले आधे भाग में और छोटा पुत्र दूसरे आधे भाग में।"

24. रिट न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि विवाद ट्रस्ट बनाम सोसायटी बनाम शैक्षणिक संस्थानों के मामलों के प्रबंधन के संबंध में था, जिसे पक्षों द्वारा अपने पक्ष में निष्कर्ष और निर्णय की अपेक्षा करते हुए रिट न्यायालय द्वारा सुलझाए जाने का प्रयास किया गया था। यह दावा या तो इस न्यायालय के समक्ष हुई कुछ पिछली कार्यवाहियों या अधिनियम 1860 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के समक्ष हुई कार्यवाहियों, राजा बलवंत सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत और 'कोडिसिल' (वसीयतनामा का पूरक) की शर्तों, उप-विधियों और 'मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन' के प्रावधानों, सोसायटी के नियमों और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.05.1964 पर आधारित था, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि ट्रस्ट, अर्थात् बलवंत राजपूत हाई स्कूल ट्रस्ट, आगरा का प्रशासन बलवंत एजुकेशनल सोसायटी द्वारा किया जाएगा और उत्तर प्रदेश का 'कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ बंदोबस्त' (ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट), ट्रस्ट से संबंधित निहित निधियों पर ब्याज की राशि सोसायटी के सचिव को प्रेषित करेगा, जो उसे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भारतीय स्टेट बैंक, आगरा शाखा के एक खाते में जमा करेगा और ट्रस्ट के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए वहां से धन निकालेगा।

25. विवाद की उपरोक्त जटिल प्रकृति और रिट न्यायालय के हस्तक्षेप के माध्यम से पक्षों द्वारा चाही गई अधिनिर्णय की मांग को देखते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने बोर्ड, परिवार, विरासत और सभी भाइयों की लंबी भागीदारी के हित में अपनी ओर से जन्म तिथि के आधार पर सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में समान अवधि के लिए सदस्य और उपाध्यक्ष बनने का एक समाधान प्रस्तावित किया और कई अन्य निर्देश जारी किए, जो न्यायालय की राय में, उचित नहीं थे।
26. वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने ट्रस्ट/सोसायटी/शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के संबंध में एक नई वस्तुस्थिति (स्टेट ऑफ अफेयर्स) निर्मित कर दी है, जिसकी कल्पना सोसायटी/ट्रस्ट की उप-विधियों/नियमों के तहत नहीं की गई थी और न ही उसे मान्यता प्राप्त थी। भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पक्षों को उनके बीच के विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यदि पक्षकार ऐसे किसी समाधान पर नहीं पहुँचे, तो हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश स्वयं रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी ओर से कोई योजना या वस्तुस्थिति तैयार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते थे।
27. तथ्य के कई विवादित प्रश्न होने के कारण, जो न केवल राजा बलवंत सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत और कोडिसिल पर आधारित हैं, बल्कि उनमें निहित शर्तों की व्याख्या, वंशावली में इंगित जन्म तिथि के संबंध में विवाद ताकि यह तर्क दिया जा सके कि एपीएस या जेपीएस उम्र में बड़े थे या परिवार में सबसे बड़े थे, 1964 में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार का हस्तक्षेप, नियमों में किसी भी संशोधन को मजूरी देने की उसकी शक्ति, सोसायटी के नियम 9 में राजा बलवंत सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत और कोडिसिल को अपनाना और यह तथ्य कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद 'राजा' की स्थिति स्वयं समाप्त हो गई थी जिसका वर्तमान प्रकृति के विवाद पर प्रभाव पड़ सकता था, इन सबको भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में हल नहीं किया जा सकता था।
28. हमारी सुविचारित राय में, अधिकारों का अधिनिर्णय प्राप्त करने के लिए जो विरोधी पक्ष अपने पक्ष में चाहते हैं, वे उनके पास उपलब्ध सामान्य कानून उपचारों (कॉमन लॉ रेमेडीज) का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत हो या ट्रस्टों के संबंधित कानून या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकृति के सिविल वाद के रूप में हो। इसलिए, हमारा विचार है कि यदि पक्षकार स्वयं, इस न्यायालय द्वारा किए गए अनुनय के बावजूद, विवाद को हल करने के लिए किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर नहीं पहुँच सके, तो रिट न्यायालय के लिए स्वयं कोई ऐसी योजना तैयार करना या ऐसी प्रकृति की व्यवस्था करना खुला नहीं था, जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई थी और न ही ऐसी कोई योजना तैयार की जा सकती थी और न ही रिट कार्यवाहियों के तहत किसी भी अवधि के लिए किसी भी पक्ष की स्थिति (स्टेटस) घोषित की जा सकती थी।
29. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश और उसमें निहित निर्देश टिकने योग्य नहीं हैं और इसलिए, दोनों अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30. तदनुसार, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।
31. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.11.2025 को एतद्वारा रद्द किया जाता है। दोनों रिट याचिकाओं को निष्प्रभावी (इनफ्रक्टुअस) हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।
32. पक्षकार सोसायटी/ट्रस्ट/ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में पदाधिकारियों या सदस्यता के संबंध में अपने अधिकारों, स्वत्व, हित और स्थिति का अधिनिर्णय विधि के अनुसार उचित कार्यवाहियों में प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 4, 2026

ए.के. शुक्ला/-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"